पत्र संख्या—सा०/ब० 1-0-42—86-2928/सा०पु०

बिहार सरकार
साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग

प्रेषक

श्री जिया लाल आर्य,
साहाय्य आयुक्त ।

सेवा में

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 16 सितम्बर, 1986

विषय:—प्राकृतिक आपदाओं से निःसहाय व्यक्तियों के क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत।पुनर्निर्माण हेतु निर्माण अनुदान का भुगतान ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को देय सहायता की अधिसीमा से संबंधित भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन की प्रतिलिपि आपको विभागीय पत्रांक 2046 सा०पु०, दिनांक 25 जुलाई,1986 द्वारा भेजी गयी है । उक्त मार्ग दर्शन की कंडिका-12 में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त पक्का मकानों की मरम्मत पुनर्निर्माण हेतु प्रति परिवार 1000-00 (एक हजार) रु० खपड़ा या सी०आई० सीट्स की छावनी वाले कच्चे मकान के लिये 500 रु० प्रति परिवार तथा फूस की छावनी वाले कच्चा मकान के लिये 200 रु० प्रति परिवार की दर से गृह निर्माण अनुदान का भुगतान निर्धारित किया गया है ।

उपर्युक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक 2156 सा0पु०,दिनांक 31 दिसम्बर,1981 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि वर्तमान में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत।पुनर्निर्माण हेतु 75-00 रु० प्रति व्यक्ति एवं अधिकतम 750-00 रु० प्रति परिवार की दर से भुगतान किया जा रहा है ।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर से पक्का मकान धारियों को देय भुगतान बढ़ा दी गई है जबकि कच्चा मकानधारियों को देय अनुदान घटा दी गई है ।

उपर्युक्त परिस्थिति में राज्य सरकार से निर्णय लिया है कि पक्का मकान एवं कच्चा मकान के लिए गृह निर्माण अनुदान भारत सरकार द्वारा निर्धारित क्रमशः अधिकतम 1000-00 रु० एवं न्यूनतम 200-00 रु० प्रति परिवार की दर से अनुमान्य होगा । परन्तु कच्चा मकान के लिए राज्य सरकार के पूर्व के निर्धारित दर जिसकी अधिकतम राशि 750-00 रु० प्रति परिवार थी, वह वर्त्तमान में लागू रहेगा ।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दें ।

विश्वासभाजन,
जिया लाल आर्य
साहाय्य आयुक्त ।

ज्ञापांक 2928 सा०पु०,

पटना,-15, दिनांक 10।16, सितम्बर, 1986 ।

प्रतिलिपि--वित्त विभाग द्वारा महालेखाकार, बिहार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिया लाल आर्य,
साहाय्य आयुक्त ।

ज्ञाप क-2928 । सा०पु०,

पटना-15, दिनांक 10।16, सितम्बर, 1986

प्रतिलिपि--वित्त विभाग। बजट शाखा वित्त विभाग प्रशाखा 7।5 सभी अपर समाहर्त्ता अनुमंडलाधिकारी, अंचलाधिकारी,।प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

जिया लाल आर्य,
साहाय्य आयुक्त ।